न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 235/2016 **दायर दिनांकः 29/12/2016**

उनवान

1. प्रेमचन्द आयु 70 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति जाटव निवासी कुजेंड़ तह0 अटरू जिला बारां (राज0) **वादी**

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण जाति बोला निवासी मोठपुर
2. जगदीश पुत्र रामनारायण जाति बोला निवासी मोठपुर
3. पुष्पलता पुत्री रामनारायण पत्नी गोबरीलाल जाति बोला निवासी मोठपुर हाल निवासी गोलाना तह0 खानपुर जिला झालावाड़ राज0
4. जशोदा पुत्री रामनारायण पत्नी दीनदयाल उर्फ दयाराम जाति बोला निवासी मोठपुर हाल निवासी मण्ड़ावरा वाया सुल्तानपुर तह0 दीगोद जिला कोटा (राज0)
5. मांगीबाई पत्नी स्व0 रामनारायण जाति बोला निवासी मोठपुर तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. डोली बाई उर्फ दोली बाई पुत्री रामकिशन पत्नी चेतराम जाति बोला निवासी कुजेंड हाल निवासी बम्बोरी वार्ड पावर हाऊस के पास अन्ता जिला बारां (राज0)
7. दयाली बाई पुत्री रामकिशन पत्नी मोतीलाल जाति बोला निवासी कुजेंड हाल निवासी मांगरोल दरवाजा बारां जिला बारां राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री ओमप्रकाश नागर।

आदेश दिनाक :05/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम एवं माल कुजेड़ँ तह0 अटरू जिला बारां (राज0) में पुराना खसरा संख्या 944 का रकबा 5 बिस्वा (बाड़ा), आराजी वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादी क्रम 5 के पति व प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के भाई से जरिये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 24/07/1984 को खरीद की थी तथा उपरोक्त खरीद शुदा आराजी का राजस्व अभियान केम्प कुजेंड़ में दिनांक 06/06/1986 को

तहसीलदार साहब अटरू द्वारा नामान्तरण नं0 869 तस्दीक कर दिया गया था। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट आपके अधीनस्थ सेटलमेन्ट कर्मचारीगण ने अवैधानिक एवं गैर कानूनी रूप से कार्य करते हुए वादी का नाम राजस्व जमाबन्दी में से हटा दिया इसलिए वादी को उसके द्वारा खरीदशुदा आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। नकल रजिस्टर्ड बेनामा, नकल नामान्तकरण साथ में सलंग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित उक्त आराजी के बाद सेटलमेन्ट खाता सं0 396 का ख0न0 1279 का रकबा 0.05 है0 बना हैं जिस पर वक्त खरीद 1984 से वादी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा हैं लम्बा कब्जा काश्त होने से कब्जा (मुखालफाना) बाई आफरेशन ऑफ लॉ के तहत वादी खातेदार कृषक बन चुका हैं इसलिए वादी उक्त आराजी पर खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। वर्तमान में उक्त आराजी बेचानकर्ताओं के खाते दर्ज होने से वादी उक्त आराजी पर बैंक से केसीसी ऋण नहीं ले पा रहा हैं तथा वादी को अनेक परेशशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073, मिलान क्षेत्रफल साथ में सलंग्न हैं जो काबिल गौर हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बेदखल कर दिया या आराजी को बेचान कर दिया तो वादी को अपने कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। अस्तु वादी को जरिये रजिस्टर्ड बेनामा खरीद की गई आराजी रकबा 0.05 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज किया जावें। वादी प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी हैं कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं 2 में वर्णित उक्त आराजी पर से जबरन बेदखल नहीं करें तथा आराजी को रहन–बेचान नहीं करें तथा वह वादी को उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी का नाम राजस्व जमाबन्दी में से हटाने पर एवं अंतिम बार दिनांक 15/11/201 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को आराजी पर से बेदखल करने एवं बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का

नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 8 बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। विवादग्रस्त आराजी ग्राम कुजेडं तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः–

(अ) यह कि वादी को वाद पत्र की मद न0 2 में वर्णित ग्राम कुजेड़ के खाता सं0 396 का ख0न0 1279 का रकबा 0.05 है0 आराजी पर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण को इस आशय की जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को वाद पत्र की मद न0 2 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नहीं करें और न ही आराजी को रहन बेचान करें तथा वादी को उक्त वर्णित आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी 1 ल 8 को जवाब दावा हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्य वादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि माल कुंन्जेड़ में पुराना ख0नं0 944 रकबा 5

बिस्वा (बाड़ा) आराजी वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादी क्रम 5 के पति व प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के भाई से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24.07.1984 को खरीद की थी जिसका नामा0 राजस्व केम्प कुंन्जेड में दिनांक 06.06.1986 को तहसीलदार साहब अटरू ने नामा0 सं0 869 तस्दीक किया था लेकिन सेटलमेन्ट के कर्मचारीगण द्वारा अवैधानिक एवं गैर कानूनी रूप से वादी का नाम राजस्व जमाबन्दी से हटा दिया गया।

अतः बाद सेटलमेन्ट खाता संख्या 396 का ख0नं0 1279 रकबा 0.05 है0 बना है। उक्त आराजी पर खरीद 1984 से वादी का कब्जा काश्त लगातार है। वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावें। तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रजिस्टरी दिनांक 24.07.1984 प्रदर्श P3A वादी द्वारा ग्राम कुन्जैड की ख0नं0 944 रकबा 0.05 है0 (बाडा) प्रतिवादीगण के पिता द्वारा बैचान किया गया था बैचान नामे के आधार पर तहसीलदार अटरू द्वारा नामा0 सं0 869 तस्दीक किया गया है जो प्रदर्श 3A है। आराजी ख0नं0 944 रकबा 0.05 है0 बना है जो सेटलमेन्ट ख0नं0 1279 रकबा 0.05 है0 बना है। जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी उक्त विवादित भूमि को अपने नाम खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कुन्जैड की खाता संख्या 396 का ख0न0 1279 का रकबा 0.05 है0, पर वादी प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण का नाम ख0नं0 1279 रकबा 0.05 है0 मे से हटाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 235/2016

उनवान

1. प्रेमचन्द आयु 70 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति जाटव निवासी कुजेंड़ तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण जाति बोला निवासी मोठपुर
2. जगदीश पुत्र रामनारायण जाति बोला निवासी मोठपुर
3. पुष्पलता पुत्री रामनारायण पत्नी गोबरीलाल जाति बोला निवासी मोठपुर हाल निवासी गोलाना तह0 खानपुर जिला झालावाड़ राज0
4. जशोदा पुत्री रामनारायण पत्नी दीनदयाल उर्फ दयाराम जाति बोला निवासी मोठपुर हाल निवासी मण्ड़ावरा वाया सुल्तानपुर तह0 दीगोद जिला कोटा (राज0)
5. मांगीबाई पत्नी स्व0 रामनारायण जाति बोला निवासी मोठपुर तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. डोली बाई उर्फ दोली बाई पुत्री रामकिशन पत्नी चेतराम जाति बोला निवासी कुजेंड हाल निवासी बम्बोरी वार्ड पावर हाऊस के पास अन्ता जिला बारां (राज0)
7. दयाली बाई पुत्री रामकिशन पत्नी मोतीलाल जाति बोला निवासी कुजेंड हाल निवासी मांगरोल दरवाजा बारां जिला बारां राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री ओमप्रकाश नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके ग्राम कुन्जैड की खाता संख्या 396 का ख0न0 1279 का रकबा 0.05 है0, पर वादी प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण का नाम ख0नं0 1279 रकबा 0.05 है0 मे से हटाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 05.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.31 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: